प्रेस नोट - कार्यालय पुलिस अधीक्षक- जनपद महराजगंज

जनपद महराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-दिनांक 16-08-2024

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *261* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *34* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 मे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपदीय पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा 34 एक्ट मे *00* व्यक्तियों के विरूद्ध व 110 जी मे *05* व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

5. पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद मे शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।

6 . विवेचनाओं का निस्तारण-* पुलिस अधीक्षक महराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- *18* विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

7 जनपद के थानो द्वारा किया गया सराहनीय कार्य*

थाना पनियरा द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्त श्याम मोहन पुत्र सदानन्द मद्धेशिया निवासी ग्राम जंगल धुसवा पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के पास सें 40 अद्द बंटी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-276/24 धारा, 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना निचलौल द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्त अभिषेक मौर्या पुत्र राम मूरत मौर्या निवासी ग्राम जंगल एकला नं.2 थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर के पास से 20 शीशी नेपाली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-413/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पुरंदरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही - अभियुक्त गनेश पासवान पुत्र शिवपूजन ग्राम विशौवा टो0-पिपरी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर, हाल पता मानिक तालाब टो0-चन्नीपुर थाना पुरंदरपुर जनपद महराजगंज के पास से 25 पैकेट बंटी बबली लाईम शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-221/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिंदुरिया द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त गोपाल रौनियार पुत्र सीताराम रौनियार निवासी मथनिया थाना सिंदुरिया जनपद महराजगंज के पास से एक थैले मे 40 पाऊच बंटी बबली शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-223/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना चौक द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्ता निर्मल देवी पत्नी स्व0 अवधेश निवासी सिहुली परसा थाना चौक जनपद महराजगंज के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-165/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना फरेंदा द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त सिनोद पुत्र स्व0 मोदर निवासी पोखरभिण्डा थाना फरेंदा जनपद महराजगंज के पास से 20 अद्द टेट्रा पैक बंटी बबली अवैध शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-251/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना कोल्हुई द्वारा की गयी कार्यवाही अभियुक्त सत्यम सिंह पुत्र नागेन्दर सिंह निवासी लौकहा थाना कोल्हुई जनपद महराजगंज के पास से 15 शीशी अवैध देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-195/24 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. जनपद में 16/16-08-2024 को विभिन्न अपराधों में कुल- *41* अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।